गोरखपुर ऑक्सीजन कांड : डॉ. कफ़ील को कोर्ट से राहत, लेकिन जांच में देरी

निलंबित चल रहे डॉ. कफ़ील का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने मंत्रियों और अधिकारियों को बचाने के लिए जांच में देरी कर रही है।

असद रिज़वी

सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 60 बच्चों की मौत मामले में आरोपी डॉ. कफ़ील ख़ान को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कफ़ील की बकाया राशि का भुगतान करे।

10 अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कालेज में एक ही रात में ऑक्सीजन की कमी के कारण 36 बच्चों की मौत के बाद सारे देश में हंगामा मच गया था। इस घटना पर पूरे देश के साथ विदेश की मीडिया में सुर्खियां बनीं। ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मासूम बच्चों की मौतों ने हर किसी को झकझोर दिया था। इसमें यूपी की योगी सरकार की खूब किरकिरी भी हुई।

इस घटना के बाद आरोप लगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई कंपनी को भुगतान नहीं हुआ था। इस कारण कंपनी ने अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाना बंद कर दिया था। हालांकि सरकार इस बात से इनकार करती रही है।

हादसे के बाद मीडिया ने डॉ. कफ़ील को एक नायक की तरह दिखाया था। लेकिन बाद में इस मामले में 100 बैड के बच्चे वार्ड के प्रभारी रहे बीआरडी मेडिकल कालेज में प्रवक्ता और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफ़ील को दोषी मानते हुए प्रदेश सरकार ने उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया। लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए 22 अगस्त 2017 को डॉ. कफ़ील को

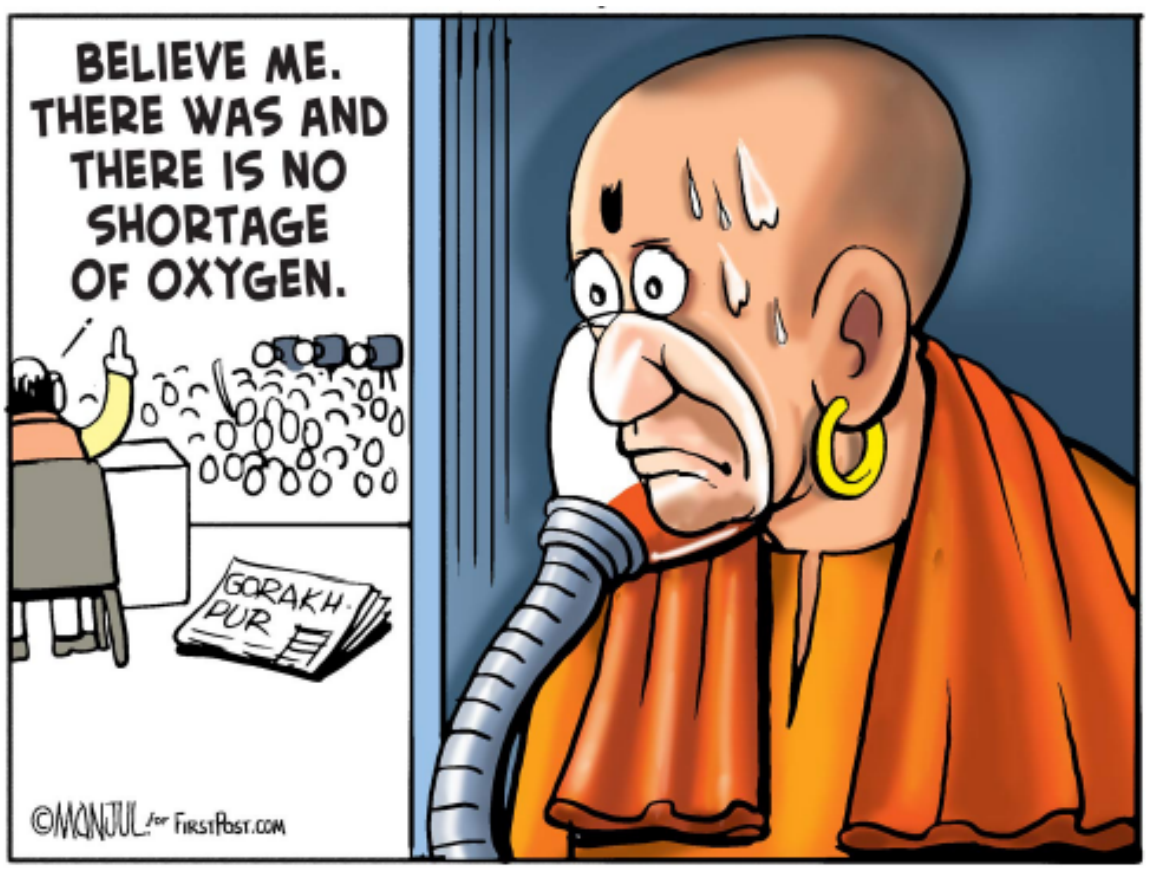

सस्पेंड कर दिया गया और 2 सितंबर 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिसके बाद इस मामले में ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी के मालिक और मेडिकल कॉलेज के प्रचार्य समेत नौ और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।

आठ महीने से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद 25 अप्रैल 2018 को कफ़ील को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली और वह 28 अप्रैल को जेल से रिहा हो गए। लेकिन वह लगभग दो साल से अपनी नौकरी से निलंबित चल रहे हैं।

अधिवक्ता अयूबी का कहना है कि डॉ. कफ़ील ने अपने निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कफ़ील की बकाया राशि का भुगतान करे। हालाँकि कोर्ट ने डॉ. कफ़ील के निलंबन के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

अधिवक्ता अयूबी ने कहा की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात मार्च 2019 को आदेश दिया था कि डॉ. कफ़ील के खिलाफ चल रही जांच को तीन महीने के अंदर पूरा किया जाए। तीन महीने की ये अवधि सात जून को पूरी हो रही है। अभी तक उनके खिलाफ विभागीय जांच पूरी होने के बारे में कोई ख़बर नहीं है।

डॉ. कफ़ील का कहना है कि करीब 20 महीने का समय हो गया लेकिन, अभी तक उनके ख़िलाफ़ चल रही विभागीय कार्यवाही पूरी नहीं हुई है। इस कारण उन्हें जीवन निर्वाह में दिक्कत हो रही है। उन्हें वेतन की केवल आधी रकम मिल रही है। वे प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया की इस सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 18 दिसम्बर, 2018 को पत्र भी लिखा था। जिसका कोई उत्तर नहीं आया। डॉक्टर कफ़ील के परिवार में उनकी माता के अलावा उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारियां वह उठाते हैं।

उल्लेखनीय है बच्चों की मौत को लेकर आलोचना का सामना कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सरकार ने इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी के मालिक और मेडिकल कॉलेज के प्रचार्य समेत नौ लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इन लोगों के खिलाफ IPC की धारा 420, 308, 120 बी भ्रष्टाचार निवारण अधीनियम, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15 समेत छह धाराओं में दर्ज किया गया था।

निलंबित चल रहे डॉ. कफ़ील का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने मंत्रियों और अधिकारियों को बचाने के लिए जाँच में देर कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कमीशनख़ोरी की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कंपनी का भुगतान समय पर नहीं हुआ था। इसी वजह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का संकट हुआ और मासूम बच्चों की मौत हो गई।

डॉ. कफ़ील ने आरोप लगाया की 20 महीने में भी जाँच इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, चिकत्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन, आईएएस राजीव रौतेला और महानिदेशक चिकत्सा शिक्षा के के गुप्ता शामिल हैं। जेल से रिहा होने के बाद से डॉ. कफ़ील बच्चों की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं।

नदियों को मां मानने वाले देश में उनका सबसे ज्यादा अपमान

हमारे देश में नदियों का जितना अपमान किया गया है, सम्भवत: ऐसा दुनिया में कहीं नहीं किया जाता। अहमदाबाद में साबरमती को एक नहर में परिवर्तित कर दिया गया और इसे एक ऐसे मॉडल के तौर पर प्रचारित किया गया, जिसका अनुसरण अनेक नदियों के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर गया।

महेंद्र पाण्डेय, वरिष्ठ लेखक

आज के दौर में मनुष्य ने विकास के नाम पर अपनी गतिविधियों से लगभग पूरी पृथ्वी का भूगोल बदल कर रख दिया है। हरेक जगह को अपनी धरोहर समझने वाले सागर तट को, नदियों को, भूमि को और पहाड़ों को अपनी सुविधा के अनुसार बदलते जा रहे हैं। हालत तो यहाँ तक पहुँच गयी है कि अब इस विकास के क्रम में अंतरिक्ष और सुदूर टिमटिमाते ग्रह भी आ गए हैं।

प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में सबसे अधिक नुकसान नदियों को पहुंचा है। नदियों से मनुष्य का नाता सभ्यता के विकास के समय से रहा है, और उसी समय से इनका दोहन भी आरम्भ हो गया था, पर आज के दौर में तो नदियों पर प्रकृति का नहीं बल्कि मनुष्य का ही नियंत्रण है।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल, नेचर के नवीनतम अंक में प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार दुनिया में जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं, उनमें से लगभग दो-तिहाई अब स्वच्छंद तौर पर नहीं बहतीं। इसके प्रभाव से नदियों में सेडीमेंट का परिवहन, मछलियों और दूसरे जीवों का जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र में नदियों का महत्व कम होता जा रहा है।

वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फण्ड और मोंट्रियल स्थित मैकगिल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने दुनिया की नदियों पर विस्तृत

अध्ययन का यह बताया है कि दुनिया में 1000 किलोमीटर से लम्बी 246 नदियों में से महज 90 ही स्वच्छंद तौर पर बहती हैं और ये सभी आर्कटिक, अमेजन, और कांगो के क्षेत्र में स्थित हैं। ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं, जहां अभी तक हमारे विकास का दौर बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हुआ है।

इस दल ने दुनियाभर में रैली नदियों के 1.2 करोड़ लम्बे मार्ग का बारीकी से अध्ययन किया है और इसके लिए नदियों के उपग्रह से खींचे गए या फिर वायुयानों से खींचे गए चित्रों का सहारा लिया। दुनिया में बड़ी नदियों पर 60000 से अधिक बाँध हैं और 3700 से अधिक बांधों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसका मतलब है कि और अधिक नदियाँ अब बांधी जा रही हैं।

नदियों की सुरक्षा सतत विकास का एक पहलू है, जिसकी बात तीन दशक से लगातार की जा रही है। पर दुखद तथ्य यह है कि नदियां मरती जा रही है। स्वच्छंद बहने वाली नदी का मतलब यह है कि इसके उदगम से निकला पानी भी समुद्र में मिले, पर बांधों, जलाशयों और नहरों ने नदी के बहाव को बाधित किया है, इसका मार्ग बदला है और जलीय जीवों के अस्तिस्त्व का संकट खड़ा कर दिया है। यही कारण है कि भूमि, महासागरों के जीवन की तुलना में मृदुजल में पनपने वाले जीवों में विलुप्तीकरण की दर दुगुनी से अधिक है।

वर्ष 1970 के बाद से मृदुजल में पनपने वाला 83 प्रतिशत जीवन विलुप्त हो चुका है। दूसरी तरफ दुनिया की 2 अरब से अधिक आबादी पानी के लिए सीधे तौर पर नदियों पर निर्भर है और इससे प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ टन मछलियाँ निकाली जाती हैं, जिस पर बहुत बड़ी आबादी निर्भर है।

इस अध्ययन के अनुसार नदियों की समस्या केवल बाँध, बैराज या नहरें ही नहीं हैं, बल्कि नदियों के किनारों से छेड़छाड़, बाढ़ से बचाव के नाम पर बनाए गए बाँध और जल निकासी भी बड़ी समस्या है और ये सभी बहाव को प्रभावित करते हैं।

हमारे देश में नदियों का जितना अपमान किया गया है, सम्भवत: ऐसा दुनिया में कहीं नहीं किया जाता। अहमदाबाद में साबरमती को एक नहर में परिवर्तित कर दिया गया और इसे एक ऐसे मॉडल के तौर पर प्रचारित किया गया, जिसका अनुसरण अनेक नदियों के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर गया। लखनऊ में आप गोमती नदी को देखिये, और फिर सोचिये कि आप कोई नहर देख रहे हैं या नदी ?

इसी तरह दिल्ली में यमुना के डूबक्षेत्र में अक्षरधाम बनाना था तो आनन-फानन में बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए एक बांध बना दिया गया। अक्षरधाम तो सुरक्षित हो गया, पर नदी को क्या नुकसान हुआ इसका आकलन किसी ने नहीं किया। बनारस का उदाहरण तो सबके सामने है। गंगा को साफ करने के नाम पर घाटों पर खूब निर्माण कार्य किया गया और मलबा नदी में डाल दिया गया। इसके प्रभाव से जो गंगा घाटों से होकर बहती थी, वह अब दूर चली गयी और घाट सीढ़ियों का एक वीरान ढांचा बन कर रह गए।

आश्चर्य तो यह है कि नदियों का महत्व मानव सभ्यता के विकास के दौर में ही समझा गया था पर धीरे-धीरे इसे हम भूल गए और अपनी धरोहर मान बैठे। इस पर हमने अपना हक समझ लिया और फिर इसे बर्बाद करते चले गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नदियों को हमने अपनी जीवनरेखा नहीं समझा बल्कि उसकी जीवनरेखा हम बन गए। हम अपनी मर्जी से नदियों को मारते हैं, या फिर उसे जिन्दा रखते है।